



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259950

CG-DL-E-06012025-259950

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1946

No. 4]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSA 13, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

सं. 38/2024-25

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.06 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/92/180/42/एएम25/पीसी-6/ई-40655 समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.06 (ग) (ii) और पैरा 6.06 (ग) (iii) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
----------	-------------	--------------

6.06 (ग) (ii)	तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों {आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय-9 के अन्तर्गत शामिल} के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा।	तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों {आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय-9 के अन्तर्गत शामिल} के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर करना होगा।
6.06 (ग) (iii)	इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग/स्टेरीलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विनिर्माण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।	इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग/स्टेरीलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से 6 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विनिर्माण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

एफटीपी/एचबीपी, 2023 के अध्याय 4 के प्रावधानों के साथ समरूपता लाने हेतु व्यापार करने में सुगमता के लिए एचबीपी, 2023 के पैरा 6.06 (ग) (ii) और पैरा 6.06 (ग) (iii) में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवंपदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd January, 2025

No. 38/ 2024-25

Subject: Amendment in Para 6.06 of HBP, 2023- Regarding

F. No. 01/92/180/42/AM25/PC-6/E-40655—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Para 6.06 (c) (ii) and Para 6.06 (c) (iii) of HBP, 2023:

Para No.	Existing Para	Amended Para
----------	---------------	--------------

6.06 (c) (ii)	However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from date of import. Similarly, export obligation against import of items {covered by Chapter 9 of ITC(HS)} and coconut oil shall be fulfilled within a period of 90 days from the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities.	However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from the date of import. Similarly, export obligation against the import of items {covered by Chapter 9 of ITC(HS)} and coconut oil shall be fulfilled within a period of 6 months from the date on which the first import consignment is cleared by Customs Authorities.
6.06 (c) (iii)	Further, in case of import of spices for VA purpose like crushing / grinding / sterilization or for manufacture of oils and oleoresins of pepper, cardamom and chillies (and not for simple cleaning, grading, re- packing etc.), EO shall be fulfilled within 120 days from the date of importation of first consignment. In case of import of spices (other than pepper, cardamom and chillies) for manufacture of spice oils and oleoresins, EO shall be fulfilled within 12 months.	Further, in case of import of spices for VA purposes like crushing / grinding/sterilization or for the manufacture of oils and oleoresins of pepper, cardamom and chillies (and not for simple cleaning, grading, re-packing etc.), EO shall be fulfilled within 6 months from the date of importation of first consignment. In case of import of spices (other than pepper, cardamom and chillies) for the manufacture of spice oils and oleoresins, EO shall be fulfilled within 12 months.

2. Effect of this Public Notice:

To bring parity with provisions of Chapter 4 of the FTP/HBP, 2023 the provisions of Para 6.06 (c)(ii) and Para 6.06(c)(iii) of the HBP, 2023 stand amended for ease of doing business.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.